



प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 05, जून, 2026

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारी हॉस्टल/ट्रांजिट हास्टल निर्माण (चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद भदोही, मिर्जापुर, लखीमपुर-खीरी, हाथरस एवं देवरिया के 07 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0 21915/CE-BLD/OFF/TRANS/ALI/2026-27, दिनांक 23.05.2026, 21916/CE-BLD/OFF/TRANS/MIR/2026-27, दिनांक 23.05.2026, 21914/CE-BLD/OFF/TRANS/LKO/2026-27, दिनांक 23.05.2026 एवं 21913/CE-BLD/OFF/TRANS/GKP/2026-27, दिनांक 23.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारी हॉस्टल/ट्रांजिट हास्टल निर्माण (चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद भदोही, मिर्जापुर, लखीमपुर-खीरी, हाथरस एवं देवरिया के 07 चालू कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रु0 386.89 लाख (रु0 तीन करोड़ छियासी लाख नवासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत/पुनरीक्षित धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	38/2023/001-51आ0/23-5-23-05भवन-2023 दिनांक 24.02.2023 एवं 46/2024/आई526575/001-196आ0-23-5002-001-5-2024, दिनांक 21.03.2024 एवं 04/2025/आई8404 91/001-649आ0/23-5002-002-97-2024, दिनांक 03.01.2025 एवं 180/2025/आई 1081639/001-	भदोही में 08 यूनिट (02 मंजिला-एक ब्लॉक) ट्रांजिट हाउस का निर्माण कार्य।	157.24	04.25	152.99	93.00	0.00	59.99	59.99

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	468आ0/23-5002-002-97-2024, दिनांक 09.09.2025								
2	79/2025/आई-909598/001-240आ0-23-5002-002-20-2025 दिनांक 19.03.2025	मीरजापुर में ट्रांजिट हॉस्टल में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	17.45	01.15	16.30	02.00	0.00	14.30	13.49
3	तदैव	मीरजापुर में ट्रांजिट हॉस्टल टाइप-3 ब्लॉक-2 में प्रथम तल पर 02 नग टाइप-3 का आवास का निर्माण कार्य।	101.33	07.44	93.89	15.00	0.00	78.89	74.20
4	66/2020/150आ0/23-5-20 - 06(भवन)/20टीसी, दिनांक 22.10.2020 एवं 09/2023/001-204आ0-23-5-22-50(43)ईजी/2010, दिनांक 10.01.2023 एवं 103/2023/001-189आ0-23-5-23-50(43)ईजी/2010, दिनांक 30.05.2023 एवं 91/2024/आई 732808/001-368आ0-23-5002-002-66-2024, दिनांक 04.09.2024	लखीमपुर-खीरी में आफिसर्स कालोनी परिसर में ट्रांजिट हास्टल भवन का निर्माण कार्य।	233.64	05.99	227.65	210.00	0.00	17.65	17.65
5	66/2020/150आ0/23-5-20 - 06(भवन)/20टीसी, दिनांक 22.10.2020 एवं 113/2024/आई 792303/001-477आ0-23-5002-002-84-2024 दिनांक 11.11.2024 एवं 116/2025/आई-968941/001-314 आ0-23-5002-002-84-2024 दिनांक 22.05.2025	लखीमपुर-खीरी में जजेज आवास के सामने ट्रांजिट हास्टल भवन का निर्माण कार्य	249.06	02.15	246.91	170.00	00.00	76.91	64.56
6	37/2024/आई5208 29/001-167आ0/23-5002-	हाथरस में ट्रांजिट हास्टल(16 यूनिट) का निर्माण	287.70	15.40	272.30	120.74	0.00	151.56	125.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	002-22-2024, दिनांक 15.03.2024 एवं 19/2025/आई- 855728 /001- 04आ0-23-5002 - 002-3-2025, दिनांक 20.01.2025 एवं 180/2025/आई 1081639/001- 468आ0/23-5002- 002-97-2024, दिनांक 09.09.2025	कार्य(जी+3) (सिविल कार्य)।							
7	79/2025/आई- 909598/001- 240आ0-23-5002- 002-20-2025 दिनांक 19.03.2025	देवरिया के प्रांतीय खंड, लो0नि0वि0 के अंतर्गत ट्रांजिट हॉस्टल में बाउन्ड्रीवाल, गेट का निर्माण तथा गेट मैन के कमरे का नवनिर्माण कार्य।	52.77	0.85	51.92	07.00	06.30	51.22	32.00
योग									386.89

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

- (1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार पर स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है तो सम्बन्धित अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।
- (5) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) विद्युत/यांत्रिक कार्यो हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 3,86,89,000 (रुपये तीन करोड़ छियासी लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059800512300 प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारी हॉस्टल/ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 87/2026/आई-1351092/001-279 आ0(1)-23-5-2026 --तद्विनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
 - 3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
 - 4- समस्त सम्बंधित जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
 - 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
 - 9- मुख्य अभियन्ता (भवन)/(वि0/याँ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
 - 10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
 - 11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0।
 - 12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, ।
 - 13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।